भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4750

जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है

सार्वजनिक परिवहन में महिला वाहन-चालकों को बढ़ावा देना

†4750. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुरक्षा संबंधी चुनौतियां रात के समय महिलाओं के आवागमन में बाधा बनी हुई है और इसके परिणामस्वरूप देश भर में महिलाओं द्वारा संचालित टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और बाइक टैक्सी सेवाओं की संख्या बहुत कम है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार महिला यात्रियों की सुरक्षा में सुधार लाने के उपाय के रूप में सार्वजनिक परिवहन में महिला चालकों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा योजनाओं को सुदृढ़ करने अथवा नई पहल शुरू करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक परिवहन चालकों के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय प्रोत्साहन, तकनीकी प्रशिक्षण, सुरक्षा नेटवर्क या समर्पित राइड-हेलिंग प्लेटफार्मों जैसे मौजूदा या प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उबर, ओला और रैपिडो जैसे मुख्य धारा के राइड-हेलिंग प्लेटफार्मों पर महिला चालकों का न्यूनतम प्रतिशत अनिवार्य करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शहरों और कस्बों में अंतिम छोर तक संपर्क की सुविधा प्रदान करने और महिला-चालित सुरक्षित परिवहन की सुविधा का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और इसके कार्यान्वयन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन में चालक के रूप में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने और महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में चालक की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक सक्षम वातावरण बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित आवागमन के विकल्प उपलब्ध होंगे। ये कदम निम्नलिखित हैं:

1. 28 नवंबर 2016 को अधिसूचना सा.का.नि. 1095(अ) जारी की गई, जिसके तहत केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 में नियम 125च को शामिल करके संशोधन किया गया है। इसके तहत दोपहिया, ई-रिक्शा और तिपहिया वाहनों को छोड़कर सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में वाहन

लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और एक या एक से अधिक आपातकालीन बटन लगाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना है।

2. निर्भया फ्रेमवर्क के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एआईएस 140 विनिर्देशों के अनुसार सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए राज्यवार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के विकास, अनुकूलन, तैनाती और प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए एक योजना को (15 जनवरी, 2020 को) मंजूरी दी गई जिसकी कुल अनुमानित लागत 463.90 करोड़ रुपये है (निर्भया फ्रेमवर्क के अनुसार 332.24 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा सहित)।

प्रस्तावित प्रणाली में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में निगरानी केंद्र स्थापित करके महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। ये केंद्र उन सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों (पीएसवी) पर नज़र रखेंगे जिनमें आपात स्थिति में अलर्ट जारी करने के लिए लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन लगे हैं। निगरानी केंद्र अलर्ट की निगरानी करेगा और संकटकालीन कॉलों पर प्रतिक्रिया देने के लिए राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (एसईआरएसएस) के साथ समन्वय करेगा।

निगरानी केंद्र स्थापित करने के लिए सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्वीकृत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब तक, 16 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने इन केंद्रों को चालू कर दिया है।

3. इसके अतिरिक्त, 01.07.2025 को मोटर वाहन एग्रीगेटर्स दिशानिर्देश, 2025 जारी किए गए, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित खंड शामिल हैं।

i) एग्रीगेटर्स को सभी ड्राइवरों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में लिंग संवेदनशीलता पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है।

ii) एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेगा कि ऑन-बोर्डेड ड्राइवरों से जुड़े मोटर वाहनों में एक कार्यात्मक वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस या सिस्टम लगा हो, जो एआईएस 140 के अनुरूप हो, साथ ही एक पैनिक बटन भी हो, जैसा कि सीएमवीआर के नियम 125च के तहत अनिवार्य है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा स्थापित एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र पर उपलब्ध वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिक फीड के साथ एग्रीगेटर के नियंत्रण कक्ष से जुड़ा हो।

iii) एग्रीगेटर 24x7 संचालन वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मोटर वाहन नियंत्रण कक्ष के साथ निर्बाध संपर्क बनाए रखें। नियंत्रण कक्ष मोटर वाहनों और उनमें सवार चालकों की गतिविधियों पर नज़र रखेगा ।

iv) एग्रीगेटर एक सक्रिय टेलीफोन नंबर और ईमेल पते वाला एक कॉल सेंटर स्थापित करेगा, जो उसकी वेबसाइट और ऐप पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा। यह कॉल सेंटर चौबीसों घंटे चालू रहेगा और अंग्रेजी तथा राज्य की आधिकारिक भाषा में सहायता प्रदान करेगा। ये कॉल सेंटर यात्री और/या ड्राइवर या किसी अन्य व्यक्ति को यात्रा या यात्रा पर मौजूद ड्राइवर आदि से संबंधित समस्याओं के बारे में कॉल सेंटर से संपर्क करने में सक्षम बनाने और यात्रियों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।

v) दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से एग्रीगेटर वाहनों (तिपहिया, मोटरसाइकिल और बसों को छोड़कर) में चाइल्ड लॉक तंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं , जिससे यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करने वाले दुरुपयोग को रोका जा सके ।

vi) एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों, विशेषकर बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगजन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और लागू कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो।

vii) एग्रीगेटर ऐप्स और वेबसाइटों में लाइव लोकेशन -शेयरिंग, ड्राइवर की तस्वीर दिखाना, बहुभाषी समर्थन, ड्राइवर द्वारा नशीली दवाओं या शराब के सेवन के प्रति शून्य-सहिष्णुता नीति, साइबर सुरक्षा प्रमाणन, पैनिक/आपातकालीन अलर्ट तंत्र जैसी सुविधाएँ शामिल होनी चाहिए। ये सुविधाएँ विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिए सहायक होती हैं–उन्हें वास्तविक समय में यात्रा विवरण साझा करने, ड्राइवर की पहचान सत्यापित करने और ज़रूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती हैं।

4. जनवरी, 2023 में नई दिल्ली में आयोजित दूसरे मुख्य सचिव सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे राज्य परिवहन उपक्रम की बसों के साथ-साथ ऐप-आधारित कैब सहित टैक्सियों में महिला बस कंडक्टरों और ड्राइवरों की संख्या बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करें।

5. ड्राइवरों और कंडक्टरों के रूप में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में एक समन्वय निकाय, एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स (एएसआरटीयू) ने 08.03.2025 को महिला दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह में राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों (एसआरटीयू) की 50 महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को सम्मानित किया है।

****